उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग
संख्या-6/2016/आडिट-597/दस-2016-351(5)/2011
लखनऊ :: दिनांक 8 मार्च, 2016

कार्यालय-आदेश

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62 (एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 के प्रस्तर-1(3) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के निम्न सहायक निदेशकों (वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400) को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन का लाभ प्रदान किये जाने हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 21-1-2016 की संस्तुतियों के अनुसार, उक्त अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में अंकित तिथि से प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 6600 प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0/ज्ये0 क्र0	अधिकारी का नाम/पद	जि0ले0प0 अ0 के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि	स0नि0 पद पर पदोन्नति की तिथि	सम्मिलित संवर्ग में 10 वर्ष पूर्ण होने की तिथि	10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम ए0सी0पी0 के रूप में देय वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रू0 15600-39100 एवं ग्रेड पे रू0 6600 की देयता तिथि
1	2	3	4	5	6
1/12	श्री प्रेम नाथ सिंह, सहायक निदेशक	20-1-05	20-2-09	20-1-2015	20-1-15
2/33	श्री विनय कुमार पाण्डेय, सहायक निदेशक	17-9-05	01-6-10	17-9-15	17-9-15
3/35	श्री मनोज कुमार, सहायक निदेशक	09-9-05	25-5-10	09-9-15	09-9-15
4/36	श्री द्विजेश चन्द्र लाल, सहायक निदेशक	07-12-04	17-3-11	07-12-14	07-12-14

(श्री राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-6/2016/आडिट-597(1)/दस-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) उप स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, समस्त लखनऊ मण्डल ।

(4) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 ।

(6) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2 ।

(7) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।